

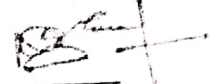
कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-168/1/सा.प्र.वि./2025/609

भिलाई, दिनांक 21.05.25

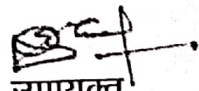
//आदेश//

श्रीमती करुणा वर्मा पति स्व.श्री बेनीराम वर्मा, भृत्य (कार्यभारित) की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 02.06.2025 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 30.06.2025 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।


उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक 21.05.25

पृ.क्र./एफ-168/1/सा.प्र.वि./2025/609
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. सहायक कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. पेंशन लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
12. श्रीमती करुणा वर्मा पति स्व.श्री बेनीराम वर्मा, भृत्य (कार्यभारित) नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।


उपायुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई